

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

हजारी लाल

बनाम

रतन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 178/2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

06/05/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती हजारी लाल

पिता श्री दत्तक पुत्र हेमा जी चमार

निवासी- ओड़ुण्ड

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

ओड़ुण्ड (तह. चित्तौड़गढ़)

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1581 1582
0.22 0.90

1591 1592 1593 1594
0.36 0.44 0.04 0.30

कुल कीता 0.6 कुल रकबा 2.2600 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ओड़ुण्ड (तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1581 1582 1591 1592 1593 1594
0.22 0.90 0.36 0.44 0.04 0.3000

कुल कीता 0.6 रकबा 2.2600 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 2000=00 रुपये अक्षर दो हज़ार रमर प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बीनू देवल)

सहायक क्लर्क एवम्
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)